

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 5/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 57/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 16.10.2019, का.आ.3724 (अ) दिनांक 16.10.2019 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 4 के स्तंभ सं. 3, स्तंभ सं. 4 और स्तंभ सं. 5 में मौजूदा शब्दों "F. No. DRI/CZU/VIII/26/226/2017 दिनांक 26.09.2019", "न्हावा शेवा-I" तथा "न्हावा शेवा-I" को क्रमशः "F. No. DRI/CZU/VIII/26/226/2017 दिनांक 26.09.2019, दिनांक 03.01.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय", "न्हावा शेवा-V" तथा "न्हावा शेवा-V" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-43/2019-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ को उनके पत्र संख्या F. No. S/10-122/2019-20/Commr./NS-V/CAC/JNCH दिनांक 14.11.2019 के संदर्भ में।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, चेन्नई को उनके पत्र सं. DRI/CZU/VIII/26/226/2019 dated 03.01.2020 के संदर्भ में और इस निवेदन के साथ कि वो कारण बताओ नोटिस के सभी नोटिसियों को इस बारे में सूचित करें।